

20/8/24 प्रजावली पेश हुई। वादीया मय कौपियस्ता
उपाध्यत मही। वादीया एवं कौपियस्ता दोवार-
वार व रक-रक कर आवाज लगाने पर भी
न्यायालय में कोई हाजिर नहीं हुए। अतः
वादीया का वाद अदम हाजरी व अदम पेशी
में खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा